कानपुर विकास प्राधिकरण

....................................श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र

(वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20)

आवेदन पत्र का क्रमांकः–

1– फर्म का नाम ....

2– भागीदारों के नाम (1...2..3.......................)

3– पूरा पता...

मो0 नं0...फोन नं0..................................

4– स्वामित्व/पार्टनरशिप /कम्पनी का प्रकार...

5– स्टाफ की संख्या, नाम व पता (संलग्नक–1)

6– वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में परिशिष्ट सं0– 3 के अनुसार (संलग्नक–2)

7– पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान व पता (समस्त भागीदारों/निदेशकों का) (संलग्नक–3)

8– दो नवीनतम् प्रमाणित फोटो (समस्त भागीदारों/निदेशकों की)।

9– पिछले तीन वर्षों के आयकर रिर्टन/फार्म 26 ए0एस0 (संलग्नक–4अ) व बैलेन्सशीट (संलग्नक–4ब) तथा पैन कार्ड (संलग्नक–4स), वाणिज्यकर/वस्तु एवं सेवाकर प्रमाण पत्र (संलग्नक–4द), ई0पी0एफ0 का पंजीकरण प्रमाण पत्र (संलग्नक–4य); ई0एस0आई0 का पंजीकरण प्रमाण पत्र (संलग्नक–4र) एवं सेवाकर पंजीकरण प्रमाण –पत्र (संलग्नक–4ल) संलग्न करें । यदि लागू न हो तो इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करें।

10– इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर अथवा उसका निकट सम्बन्धी/रिश्तेदार कानपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन (निकट सम्बधी का तात्पर्य पिता, माता, बहन, भाई, बहनोई, लड़का ,लड़की, ससुर, दामाद, स्वयं अथवा स्वयं की पत्नी, ससुर के या सास के चचेरे भाई से है) (संलग्नक–5)

11– निर्माण/ विकास कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची (संलग्नक–6)

12– पिछले चार वर्षों में किये गये निर्माण/ विकास कार्यों के विवरण की सूची (संलग्नक–7)

13– सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत निर्माण व विकास कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्नक–8)

14– डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की सत्यापित प्रतिलिपि (संलग्नक–9)

15– पार्टनरशिप फर्म के लिये पार्टनरशिप डीड एवं रजिस्ट्रार आफ फर्म का प्रमाण पत्र, कम्पनियों के लिये मेमोरेन्डम आफ एशोसिएशन, आर्टिकल आफ एशोसिएशन तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं प्रोपराइटर हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक–10)

16– विद्युत कार्य के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये शासन द्वारा प्रदत्त ''क''श्रेणी/''क'' श्रेणी अनुमोदित वर्तमान में वैध लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक–11)

नवीनतम् सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)			

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

कानपुर विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्ते

1— भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदार वित्तीय वर्ष 2017—18 से 2019—20 तक किसी भी समय निम्नानुसार अंकित मूल्य के कार्य लेने हेतु पात्र होंगे :—

श्रेणी	सिविल कार्य	विद्युत कार्य
''ए'' श्रेणी	रू0 200.00 लाख से अधिक रू 500 लाख तक.	रू0 100.00 लाख से अधिक रू 200.00 लाख तक.
''बी''श्रेणी	रू0 100.00 लाख से अधिक रू 200.00 लाख तक.	रू0 50.00 लाख से अधिक रू 100.00 लाख तक.
''सी'' श्रेणी	रू0 50.00 लाख से अधिक रू 100.00 लाख तक .	रू0 25.00 लाख से अधिक रू 50.00 लाख तक.
''डी'' श्रेणी	रू0 50.00 लाख तक.	रू0 25.00 लाख तक.

रू0 1.00 लाख से अधिक लागत के समस्त कार्यो की निविदायें ई—टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित एवं प्राप्त की जाएगी तथा निविदा में भाग लेने वाले समस्त निविदादाताओं को उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ अथवा कन्ट्रोलर ऑफ सर्टीफाइंग ॲथारिटीज या उनके रजिस्टरिंग ॲथारिटीज में से किसी एक संस्था से निर्धारित शुल्क जमा करके डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

रू0 5.00 करोड़ से अधिक मूल्य के सिविल कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत ''ए'' श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिये अधिकृत होंगें। इसी प्रकार रू0 2.00 करोड़ से अधिक मूल्य के विद्युतीकरण कार्यों हेतु भी प्राधिकरण में पंजीकृत ''ए'' श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त ऐसे अपंजीकृत ठेकेदार/फर्में जो निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त ''क'' श्रेणी/''क'' श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स धारक हैं, भी निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगें, परन्तु शर्त यह होगी कि उनकी निविदा स्वीकृत होने पर उन्हें विभाग में नियमानुसार पंजीकरण, सम्बन्धित कार्य के अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से कराना होगा। ऐसी समस्त निविदायें **टू—बिड पद्वति** के माध्यम से विशेष नियमों/शर्तों के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी। विशिष्ट प्रकृति के कार्यों की निविदाएॅ भी टू—बिड पद्वति से आमंत्रित की जायेगी तथा इनकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी।

2— निविदा आमंत्रण की तिथि को प्राधिकरण में कोई भी पंजीकृत ठेकेदार निम्नानुसार सीमा से अधिक मूल्य के कार्य एक समय मे करने के लिए अर्हय नहीं होगाः—

कम सं0	श्रेणी	सिविल कार्य	विद्युत कार्य
1.	''ए'' श्रेणी	सीमा नहीं	सीमा नहीं
2.	''बी'' श्रेणी	रू0 500.00 लाख तक	रू0 200.00लाख तक
3.	''सी'' श्रेणी	रू0 200.00 लाख तक	रू0 100.00 लाख तक
4.	''डी'' श्रेणी	रू0 100.00 लाख तक	रू0 50.00 लाख तक

नोटः—सभी कार्यों का मूल्यांकन निविदा आमंत्रण की तिथि को चालू कार्यों के अन्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों की लागत तथा आमंत्रित निविदा कार्य की लागत को जोड़कर किया जायेगा। अवशेष कार्यों की लागत का ऑकलन स्वीकृत निविदा लागत से भुगतान की गयी धनराशि को घटाकर किया जायेगा।

3— फर्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खोला जायेगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी।

4— निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

5— निविदादाता द्वारा आगणित दरों से निम्न निविदा डालने की स्थिति में शासनादेश संख्या—622/23—12—2012—2 आडिट/08 टी0सी0—2 दिनांक 08.06.12 के अनुसार 10 प्रतिशत निम्न तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर तथा 10 से प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफामेन्स गारन्टी एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व विभाग में जमा करनी होगी।

6— वित्तीय वर्ष 2016—17 में पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं वर्क इन हैण्ड का विवरण परिशिष्ट सं0—5 के अनुसार सम्बन्धित अभियन्त्रण खण्डों/अन्य विभागों से सत्यापित कराकर देना होगा। किये गये/किये जा रहे कार्यों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियन्ता से निम्न स्तर के अधिकारी का मान्य नहीं होगा। सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

7— पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना , कार्य में अत्याधिक विलम्ब करना अथवा अधूरा छोड़ना; फिनिशिंग ठीक न करना, अपराधिक मुकदमा/एफ0आई0आर0 दर्ज होना; विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को (ब्लैक लिस्ट) काली सूची में दर्ज करने का अधिकार उपाध्यक्ष; कानपुर विकास प्राधिकरण को होगा।

8— इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर उसका निकट का रिश्तेदार/निकट सम्बन्धी (निकट सम्बन्धी का तात्पर्य पिता , माता, बहन, भाई, बहनोई, लड़का , लडकी, ससुर , दामाद स्वयं अथवा स्वयं की पत्नी; ससुर के या सास के चचरे भाई से है) कानुपर विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं हैं। यदि इसके विपरीत तथ्य पाया जाता है, तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त कर उसकी फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

9— किसी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण, जिसने प्राधिकरण में सर्विस की हो, प्राधिकरण से अवकाश प्राप्त होने के दो वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही किया जायेगा ।

10— निविदा मूल्य निम्न प्रकार देय होगाः—

रू0	**2.00 लाख तक**	**300/— + 5 % वैट**
रू0	**2.00 लाख से अधिक रू0 5.00 लाख तक**	**600/— तदैव**
रू0	**5.00 लाख सें अधिक रू0 10.00 लाख तक**	**950/— तदैव**
रू0	**10.00 लाख से अधिक रू0 25.00 लाख तक**	**1500/— तदैव**
रू0	**25.00 लाख से अधिक रू0 100.00 लाख तक**	**3000/— तदैव**
रू0	**100.00 लाख से अधिक रू0 200.00 लाख तक**	**6000/— तदैव**
रू0	**200.00 लाख से अधिक रू0 500.00 लाख तक**	**7000/— तदैव**
रू0	**500.00लाख से अधिक**	**10000/—तदैव**

11— सभी ठेकेदारों को जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत वर्तमान में वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास स्थान का पता सत्यापित कराकर देना होगा।

12— प्रमाण पत्र के साथ लगायी जाने वाली फोटो राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिये ।

13— सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेंगें; जो किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर दिखाना होगा।

14— विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जायेगें। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा।

15— निर्माण एवं विकास कार्यों पर, संलग्न परिशिष्ट संख्या —1 के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

16— निर्माण एवं विकास कार्यो पर, संलग्न परिशिष्ट संख्या –2 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल , खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा । यदि मशीनरी स्थल पर नहीं पायी जाती है; तो संलग्न सूची के अनुसार मशीनरी का बाजार दर से किराया उनके बिल से काटा जायेगा।

17— पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क संलग्न परिशिष्ट संख्या –3 के अनुसार देय होगा; जो प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष तक मान्य होगा।

18— लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र परिशिष्ट संख्या –3 के अनुसार परिशिष्ट संख्या –4 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार राष्ट्रीकृत / शिड्यूल बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा; जो छः माह से पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए।

19— क्षमता निर्धारण हेतु विगत चार वर्षों में कानपुर विकास प्राधिकरण में पूर्ण किये गये कार्यों एवं किये जा रहे कार्यों तथा अन्य विभागों में पूर्ण किये गये कार्यों एवं किये जा रहे कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट सं0 –5 में देना होगा; जिसके साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

20— **(i) आवेदक की टैन्जिबल नेटवर्थ का सत्यापन अंतिम तीन वर्षो की आडिटेड बैंलेन्स शीट व आई0टी0आर0 / 26 ए0एस0 से किया जायेगा।**

(ii) ''डी ''श्रेर्णी के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु राष्ट्रीकृत / शिड्यूल बैंक द्वारा जारी नेटवर्थ प्रमाण पत्र अथवा वैध हैसियत प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत) देना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र परिशिष्ट–3 में उल्लिख्ति टैन्जिबल नेटवर्थ से कम नहीं होना चाहिए।

(iii) ठेकेदारों का पंजीकरण / नवीनीकरण; चरित्र प्रमाण पत्र / लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता तिथि जो भी पहले समाप्त होगी, तक ही मान्य होगा।

21— (1) सिविल कार्यों के पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए विगत 4 वित्तीय वर्षो अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2017 की अवधि में किसी एक वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण / विकास कार्य कराने का न्यूनतम अनुभव ''ए'' श्रेणी हेतु कुल रू0 200.00 लाख, ''बी'' श्रेणी हेतु कुल रू0 100.00 लाख, एवं ''सी'' श्रेणी हेतु कुल रू0 50.00 लाख का राजकीय विभागों / राजकीय संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों में किये जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसी प्रकार विद्युतीकरण के कार्यों के लिए विगत 04 वित्तीय वर्षो अर्थात 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2017 की अवधि में किसी एक वित्तीय वर्ष में आपूर्ति एवं स्थापना कार्य कराने का न्यूनतम अनुभव ''ए'' श्रेणी हेतु कुल रू0 100.00 लाख, ''बी'' श्रेणी हेतु कल रू0 50.00 लाख, एवं ''सी'' श्रेणी हेतु कुल रू0 25.00 लाख का राजकीय विभागों / राजकीय संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों में किये जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। श्रेणी– डी के ठेकेदारों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) सभी आवश्यक प्रपत्र एवं अभिलेख आवेदन फार्म के साथ ही संलग्न करने होंगें।
(3) नवीनीकरण के लिए विगत वर्ष 2016–17 में पंजीकृत फर्म / ठेकेदार ही आवेदन कर सकेगें । विगत वर्ष 2016–17 में पंजीकृत फर्म / ठेकेदार द्वारा नवीनीकरण शुल्क के साथ लिक्विड एसेट्स प्रमाण पत्र / अनुभव प्रमाण / वर्क इन हैण्ड' प्रमाण / चरित्र प्रमाण पत्र आदि निर्धारित तिथि तक ही मान्य होंगें। जिन पंजीकृत फोर्मों / ठेकेदारों द्वारा विगत वर्ष 2016–17 में नवीनीकरण नहीं कराया गया है; वे वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगें; अपितु उन्हें वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 हेतु सभी आवश्यक प्रपत्र एवं अभिलेख जमा करते हुए नवीन पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

(4) ठेकेदारों को पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ वाणिज्यकर / वस्तु एवं सेवाकर / ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 / सेवाकर के पंजीकरण का का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनके पंजीकरण / नवीनीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

22— ठेकेदारों का पंजीकरण एक बार में तीन वर्षों के लिये किया जायेगा, जो अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैध होगा। इसी प्रकार विगत वर्ष 2016–17 में पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण तीन वर्षों के लिये किया जायेगा, जो अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैध होगा।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

23— बी0ई0/बी0टेक एवं समकक्ष डिग्री धारकों/डिप्लोमा होल्डर्स, जिनको कम से कम 10 वर्षो का अनुभव हो, का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के ''सी'' श्रेणी में किया जा सकता है; परन्तु ऐसे आवेदकों को अन्य सभी औपचारिकताऍं पूर्ण करनी होगी ।

24— वेटमिक्स प्लान्ट तथा हाट मिक्स प्लान्ट आधारित कार्यो के लिए मात्र ''ए'' श्रेणी में पंजीकरण कराना होगा। ऐसे ठेकेदार जो कानपुर में निजी स्वामित्व का वेटमिक्स प्लान्ट तथा हॉट मिक्स प्लान्ट स्थापित कर कार्य करना चाहें, निविदा में भाग ले सकेगें, परन्तु उन्हें निविदा स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व पंजीकरण की समस्त औपचारिकताऍं पूर्ण कर ''ए'' श्रेणी में पंजीकरण कराना होगा। वेटमिक्स प्लान्ट तथा हाटमिक्स प्लान्ट की धारिता के सम्बन्ध में अन्य एजेन्सी से किया गया एम0ओ0यू0/लीज/किरायेदारी मान्य नहीं होगी।

25— शिरोपरि जलाशय हेतु उन्हीं ठेकेदारों का पंजीकरण किया जायेगा, जिन्हें विगत चार वर्षों में शिरोपरि जलाशयों के निर्माण का अनुभव हो । पूर्णता प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता से कम के स्तर का मान्य नहीं होगा। शिरोपरि जलाशयों के निर्माण हेतु प्राधिकरण में मात्र ''ए'' श्रेणी में पंजीकरण कराना होगा, तथा ''ए'' श्रेणी की पंजीकरण हेतु समस्त अर्हताऍं पूर्ण करनी होगी; जो किसी भी कार्य धनांक के लिये मान्य होगा।

26— विद्युतीकरण कार्यो हेतु उन्हीं ठेकेदारों का पंजीकरण/नवीनीकरण किया जायेगा, जो निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त ''क'' श्रेणी/''क'' श्रेणी अनुमोदित विद्युत लाइसेन्स धारक हो। निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन लखनऊ से प्राप्त ''क'' श्रेणी/''क'' श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स संलग्न करना होगा, जो पंजीकरण/नवीनीकरण अवधि के लिए वैध होना चाहिए।

27— एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोप्राइटर अथवा साझीदार हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य फर्म में भी प्रोपराइटर अथवा साझीदार पाया जाता है तो उससे सम्बन्धित फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार उपाध्यक्ष; कानपुर विकास प्राधिकरण में सुरक्षित होगा। इस सम्बन्ध में शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28— **<u>पंजीकरण /नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना</u>**

1. प्राधिकरण में पंजीकरण /नवीनीकरण होने व पंजीकरण शुल्क जमा करनें के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार /फर्म को परिशिष्ट—6 के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
2. पंजीकरण/नवीनीकरण तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात 01.04.2017 से 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध होगा।
3. किसी ठेकेदार /फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र किसी कारण से खराब हो जाने अथवा खो जाने की स्थिति में उक्त घटना का स्वीकार्य कारण प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार शुल्क जमा करने पर डुप्लीकेट पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण— पत्र निर्गत किया जा सकेगा:—

श्रेणीं	**शुल्क**
1— ''ए'' श्रेणी	**रू0 1000.00**
2— ''बी'' श्रेणी	**रू0 500.00**
3— ''सी'' श्रेणी	**रू0 250.00**
4— ''डी'' श्रेणी	**रू0 100.00**

29— वॉच्छित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ जमा न करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से, आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकारी उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।

30— पंजीकृत ठेकेदारों को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में समय—समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

31— किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

32— कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रकिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या–1

प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्यों पर निम्नानुसार स्टाफ रखना होगा। (10/ रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

श्रेणी {''ए''} **श्रेणी{''बी''}** **श्रेणी{''सी''}** **श्रेणी{''डी''}**

एक ग्रेजुएट सिविल/विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक इंजीनियर

या

एक डिप्लोमा सिविल/विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक इंजीनियर जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो

एक डिप्लोमा सिविल/विद्युत/यांत्रिक/ इलेक्ट्रानिक इंजीनियर जिसे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो

एक डिप्लोमा सिविल/विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक

जिसे निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा :–

कमांक	नाम एवं पता	तकनीकी अर्हता	पदनाम	दिनांक जहॉ से निरन्तर सेवा प्रारम्भ की हो
1	2	3	4	5

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या –2

निर्माण कार्यो पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूचीः– (10/रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

सिविल कार्यः–

कमांक	**मशीनरी का नाम**	**''ए''**	**बी**	**सी**	**डी**	
1.	कंकरीट मिक्सर	**2**	**2**	**1**	**1**	–
2.	वाइब्रेटर्स	**3**	**2**	**2**	**1**	–
3.	पम्पस्	**2**	**1**	**1**	**1**	–
4.	पोकलेन	**1**	–	–	–	–
5.	डीजल जनरेटिंग सैट 25 कि0 वाट	**1**	–	–	–	–
6.	ट्रैक्टर्स	**1**	–	–	–	–
7.	रोड रोलर	**1**	–	–	–	–
8.	थियोडोलाइट	**1**	–	–	–	–
9.	लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	**2**	–	–	–	–
10.	बिटुमिन बायलर	**1**	–	–	–	–

<u>विद्युत कार्य</u>

कमांक	**मशीनरी का नाम**	**मात्रा**
1	मेगर 500 वोल्ट/2.5 केवी	01 नग
2.	अर्थ टेस्टर	01 नग
3.	टॅन्ग टेस्टर	01 नग
4.	क्रीम्पिंग टूल	01 नग
5.	सेफ्टी बेल्ट	04 नग
6.	हेलमेट	04 नग
7.	एम्पियर मीटर	01 नग
8.	वोल्ट मीटर	04 नग
9.	ग्लोब्ज	01 सेट
10.	मल्टीमीटर	01 नग
11.	अर्थ चेन	01 नग

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या –3

सिविल /विद्युत कार्यो हेतु पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क , लिक्विड एसेट एवं टैन्जिबल नेटवर्थ का विवरण

सिविल कार्यः–

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता (रू0 में)	पंजीकरण शुल्क (रूपये में) (जमा फीस वापसी नही)	नवीनीकरण शुल्क (रूपयों में प्रति वर्ष)(जमा फीस वापसी नही)	लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र (रू0 लाख में) (नोट–1)	टैन्जिबल नेटवर्थ (रू0 लाख में) (नोट–2)
''ए''	200 लाख से अधिक 500 लाख तक	1,50,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	45000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	75.00	125.00
''बी''	100 लाख से अधिक 200 लाख तक	75,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	30,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	30.00	50.00
''सी''	50 लाख से अधिक 100 लाख तक	60,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	15000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	15.00	25.00
''डी''	50 लाख तक	45,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	9000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	7.50	12.50

विद्युत कार्यः–

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता (रू0 में)	पंजीकरण शुल्क (रूपये में) (जमा फीस वापसी नही)	नवीनीकरण शुल्क (रूपयों में प्रति वर्ष) (जमा फीस वापसी नही)	लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र (रू0 लाख में) (नोट–1)	टैन्जिबल नेटवर्थ (रू0 लाख में) (नोट–2)
''ए''	100 लाख से अधिक 200 लाख तक	75,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	30,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	30.00	50.00
''बी''	50 लाख से अधिक 100 लाख तक	60,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	15,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	15.00	25.00
''सी''	25 लाख से अधिक 50 लाख तक	45,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	9000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	8.00	12.00
''डी''	25 लाख तक	30,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	6,000.00 (+15% सर्विस टैक्स अतिरिक्त)	4.00	6.25

नोट–1. राष्ट्रीयकृत/शिडयूल बैंक से परिशिष्ट सं0 4 के प्रारूप में प्रमाण पत्र जो कि छः माह से पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा।

नोट–2. टैन्जिबलनेटवर्थ की गणना अन्तिम आडिटेड बैलेन्सशीट के आधार पर निम्नानुसार होनी चाहिएः–

"Net worth will mean value of Fixed Assets as per last Audited Balance Sheet **(**after providing Depreciation**)** Plus Net working capital **(**current Assets minus current liabilities**)**,,

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या –4

प्रमाणित किया जाता है कि मै0 ....

प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम...

निवासी..
....गत.................. वर्षो से हमारे खातेदार है एवं जिनका व्यवहार संतोषजनक है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उनका लिक्विड एसेट्स रू0 ....लाख से अधिक है।

दिनांकः

बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर
सील सहित

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या –5

1. कानपुर विकास प्राधिकरण में विगत चार वित्तीय वर्षो में पूर्ण किये गये कार्यः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0 एवं दिनांक	अनुबन्ध धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य की समापन लागत (रू लाख में)	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	अभियन्त्रण जोन	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. कानपुर विकास प्राधिकरण में विगत वित्तीय वर्षो /वर्तमान वर्ष में प्रगतिमान कार्यो का विवरण :–

क्र 0सं 0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0 एवं दिनांक	अनुबन्ध धनराशि (रू लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	अब तक किये गये कार्य की धनराशि (रू लाख में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. अन्य विभागों में विगत चार वित्तीय वर्षों में पूर्ण किये गये कार्य :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0 एवं दिनांक	अनुबन्ध धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य की समापन लागत (रू लाख में)	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. अन्य विभागों में विगत वित्तीय वर्षो / वर्तमान वर्ष में प्रगतिमान कार्यो का विवरणः–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	विभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0 एवं दिनांक	अनुबन्ध धनराशि (रू लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	अब तक किये गये कार्य की धनराशि (रू लाख में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट – 6

पंजीकरण /नवीनीकरण प्रमाण पत्र

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
कानपुर विकास प्राधिकरण ,
मोतीझील कानपुर ।

पत्रांकः–डी/ /मु0 अ0/ का0वि0 प्रा0 / 2017–18 दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स/सर्व श्री ....

पताः– ....

कानपुर विकास प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए **सिविल**/ विद्युत /शिरोपरि जलाशय कार्य हेतु श्रेणी............. में दिनांक .... तक के लिए पंजीकृत/नवीनीकृत हैं।

मुख्य अभियन्ता,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवश्यक सूचना

कानपुर विकास प्राधिकरण में सिविल/शिरोपरि जलाशय/वेटमिक्स प्लान्ट/हाटमिक्स प्लान्ट आधारित कार्यों तथा विद्युतीकरण कार्यों हेतु वर्ष 2017–18 से 2019–2020 के लिये श्रेणी ए, बी,सी, व डी में पंजीकरण व नवीनीकरण हेतु दि0 17.05.2017 से 15.06.2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली मुख्य अभियन्ता कार्यालय से दिनांक 17.05.2017 से दिनांक 15.06.2017 के मध्य प्राधिकरण परिसर स्थित एच0डी0एफ0सी0 बैंक की शाखा में पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली के मूल्य के रूप में रू0 525.00(रू 500+5% वैट) जमा कर रसीद प्रस्तुत करने पर प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in से भी डाउनलोड की जा सकेगी, परन्तु पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त रू0 525.00 पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली के मूल्य के रूप में प्राधिकरण परिसर स्थित एच0डी0एफ0सी0 बैंक की शाखा में जमा कर मूल रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुऐ आवेदन पत्र मुख्य अभियन्ता कार्यालय में दिनांक 15.06.2017 तक जमा किये जायेंगे। अपूर्ण/अधूरे/दिनांक 15.06.2017 के पश्चात प्राप्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। पंजीकरण/ नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण में उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

हेल्पलाईनः– 0512 2556292 , 2557853 , 2556594

वेबसाइट – www.kdaindia.co.in

मुख्य अभियन्ता
कानपुर विकास प्राधिकरण

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

कायालय मुख्य अभियन्ता,
कानपुर विकास प्राधिकरण,कानपुर।

पत्रांकः–डी/ / मुख्य अभि0/का0वि0प्र0/ दिनांकः

<u>जन सम्पर्क अधिकारी</u>

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली 2017–18से 2019–20 तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने वाले आवश्यक सूचना का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। नियामावली की कम से कम 500 प्रतियॉ छपवाने की व्यवस्था तथा अवश्यक सूचना का प्रकाशन निर्धारित प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

(सरवत अली)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नोटिस तथा इस पत्र के साथ संलग्न ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली वर्ष 2017–18 से 2019–20 को प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

मुख्य अभियन्ता

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com